

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

श्रावस्ती, सोनभद्र, गोंडा, औरैया, बांदा, बलरामपुर एवं प्रतापगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 5 सितम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्पदंश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सं०-303/1-11-2016- 4(जी)/ 2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा वेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 214.325 लाख (₹0 दो करोड़ चौदह लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र०	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख ₹0 में)
1	2	3	4
1	श्रावस्ती	सर्पदंश	20.00
2	सोनभद्र	सर्पदंश	1.125
3	गोंडा	सर्पदंश	3.20
4	औरैया	सर्पदंश	40.00
5	बांदा	सर्पदंश	50.00
6	बलरामपुर	सर्पदंश	40.00
3	प्रतापगढ़	सर्पदंश	60.00
योग			214.325
(₹0 दो करोड़ चौदह लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों

को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 214.325 लाख (₹ दो करोड़ चौदह लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by

Ram Kewal

Date: 05-09-2024 10:37:40

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या- 1502(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

आवंटन ग्रीड रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष:- 2024-2025
आवंटन की तिथि- 06/09/2024

प्रेषण संख्या:- 1502

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1502

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में आवास) (वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु आवंटन)

लेख का शीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक आपदा के कारण निवास (गैर-योजना-मतदान योग्य)
05 - राज्य आपदा मोचन निधि
800 - अन्य खर्च
06 - राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय
09- राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	अधिकारी/जिला का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बांदा-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	5000000 49900000	5000000 49900000
2	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	320000 34995000	320000 34995000
3	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	6000000 47700000	6000000 47700000
4	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	112500 63712500	112500 63712500
5	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	4000000 37000000	4000000 37000000
6	औरैया-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	4000000 21900000	4000000 21900000
7	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी,--01--	वर्तमान प्रगतिशील	2000000 28000000	2000000 28000000
	योग	वर्तमान प्रगतिशील	21432500 283207500	21432500 283207500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- दो करोड़ चौदह लाख बत्तीस हजार पांच सौ रुपये

महायोग- (प्रगतिशील
आवंटन):- रुपये अट्ठाईस करोड़ बत्तीस लाख सात हजार पांच सौ रुपये



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन